न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 75/2019 राजस्व अपील

1. कजोड पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 19.07.2016 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड, प्रकरण सं. 21/2016 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 17.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म चरागाह रामा कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 19.07.2016 को भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट को कब्जा शुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 4.50 का पचास गुणा शास्ति 225/—रूपये आरोपित कर खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये तथा अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को दो माह (60 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि का स्वरूप चरागाह जैसा नहीं रहा है। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा झूंठी मौका रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौके की वास्तविक स्थिति का

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 19.07.2016 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में रामा कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.50 हैक्टेयर पर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 19.07.2016 को बेदखल कर दो माह (60 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पूर्व में भी दिनांक 21.12.2016 को निर्णय दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा द्वारा खारिज फरमायी जा चुकी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 19.07.2016 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने संवत 2075 में रामा कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.50 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया है एवं न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में भी निर्णय दिनांक 19.07.2016 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 19.07.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 21/2018 उनवानी सरकार बनाम कजोड में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official